

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़



पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 73/2016

अनवान

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रार्थी

बनाम

1. हरदेई पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा।
3. सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा।
4. प्रबंधक एच के एस बी बैंक शाखा निनान।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : राजपेरोकार : प्रार्थी

वकील श्री मुन्शीलाल : अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 20.12.17

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 14 एएमएस के मु०न० 14 किला नं० 9 ता 11 मु०न० 15 किला नं० 5-6, 15-16 की कुल 1.771 है० भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये ईट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है व कृषि जोत की शर्तों एवं नियमों की अवहेलना की जा रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल वाद में अप्रार्थीगण की ओर से वकील हाजिर आ चुके है। कोई जबाव पेश नही करना चाहते है। अतः जबावदेही बंद की जाती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थीगण ईट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है तथा भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि वाद भूमि मौके पर कृषि उपयोग में ली जा रही है। पशुओं की सुरक्षा के लिए दीवार निकाली गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे मूल वाद के निर्णय तक वाद भूमि चक 14 एएमएस के मु0न0 14 किला नं0 9 ता 11 मु0न0 15 किला नं0 5-6, 15-16 की कुल 1.771 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20/2/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
उपसपडाधिकारी R.A.S.
इपसवपडा अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़